न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय | Page 1 of 1. | स्वत्व वाद सं0-39/17
अवर न्यायाधीश | सीआईएस संख्या - 1292/18
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। | आदेश | दिनांक 04.4.2024

दिनांकः 04.04.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 04.04.2024 को आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी जगदीश तिवारी दिनांक 21.02.2024 को अपनी एक पत्नी गायत्री देवी और एक पुत्र आनन्द तिवारी और एक लड़की अर्चना देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अतः प्रतिवादी जगदीश तिवारी का नाम कलमजद होना जरूरी है। और उनके स्थान पर उनके जीवित वारिसों का प्रतिस्थापन आवश्यक है अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 7 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी जगदीश तिवारी दिनांक 21.02.2024 को अपनी एक पत्नी गायत्री देवी और एक पुत्र आनन्द तिवारी और एक लड़की अर्चना देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अतः प्रतिवादी जगदीश तिवारी का नाम कलमजद होना आवश्यक है। मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन समय से दिया गया है प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत प्रतिवादी का नाम कलमजद किया जाए और आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिवादी के वारिसान गायत्री देवी जौजे स्व0 जगदीश तिवारी, आनन्द कुमार तिवारी वल्द स्व0 जगदीश तिवारी सभी साकिन चटिया , पो0 चटिया, थाना–मलाही, जिला–पूर्वी चम्पारण तथा अर्चना देवी जौजे धर्मेन्द्र दूबे , साकिन मन कररीया, पो0 हरसिद्धि, थाना–हरसिद्धि, जिला–पूर्वी चम्पारण को क्रमवार प्रस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।